राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं.एफ.8(17)डीओपी/ए–II/2008 जयपुर,दिनांक : 15 JUN 2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये 01.04.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **विनियम 9 का संशोधन.**– राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम 9 के प्रथम परन्तुक के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(क) जब तक कि उसने अध्यक्ष/सदस्य के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण न की हो; या "।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

15/6/2018
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

33/2018